

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA NO.33/2024

No. 2024/AC-II/1/11/misc/3479965

New Delhi, dated 02.12.2024

1. General Managers/FA&CAOs etc(As per standard List I)
2. All attached offices/Subordinate Offices (As per standard List II)

Sub: Opening of separate Detailed head for expenditure pertaining to DFCCIL.

In order to have clear and specific accountal and budgeting of expenditure pertaining to DFCCIL including Access charges, a separate Detailed head "735" is being opened.

Accordingly, Advanced Correction Slip No. 11 is attached

Contents of the correction slip may please be circulated suitably.

Kindly acknowledge receipt.

DA: As above

Signed by

Rajat Agarwal

Date: 02-12-2024 17:57:23

(Rajat Agarwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No. 011-23047018

E mail ID: Rajat.agarwal91@gov.in

1. General Manager, Reserve Bank of India, Dept. of Govt & Bank Accounts, Central Office, Opp Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai-400 008.
2. CGA, Ministry of Finance, Deptt of Expenditure, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
3. Dy. C&AG of India (Railways, Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.(with 45 spare copies)
4. Joint Secretary, Dept of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and IT, 6,CGO Complex, New Delhi - 110003
5. Gen Secy, NEIR/AIRF, New Delhi.
6. F(E).III,PAO/RB, ERB-I,II,III,IV,V,AC-III (6 copies), AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection

Advance correction slip No. 11Indian Railway Finance code vol.II (Second Reprint Edition 2022)(Classification of Revenue Expenditure (Appendix-I))

Please introduce the following Detailed Head under Major Head 3002 & 3003 Sub Major Head 07, Erstwhile Demand No. 9 - Abstract 'G' Operating Expenses-Traffic- Sub Head -730

Detailed head	Description
735	Access charges to DFCCIL

(Authority - Board's letter no. 2024/AC-II/1/11/misc/3479965 DATED 02.12.2024)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2024/एसी-III/1/11/मिस./3479965

आरबीए सं. 33/2024
नई दिल्ली, दिनांक 02/12/2024

1. महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (मानक सूची I के अनुसार)
2. सभी संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची II के अनुसार)

विषय: डीएफसीसीआईएल से संबंधित व्यय के लिए अलग विस्तृत शीर्ष खोलना।

अतिरिक्त प्रभारों सहित डीएफसीसीआईएल से संबंधित व्यय का स्पष्ट एवं विशिष्ट लेखा और बजट तैयार करने के लिए, एक अलग विस्तृत शीर्ष "735" खोला जा रहा है।

तदनुसार, अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 11 संलग्न है।

कृपया शुद्धि पर्ची की विषय-वस्तु को यथोचित रूप से परिपत्रित किया जाए।

कृपया पावती दें।

संलग्नक: यथोक्त


(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक, वित्त (सीसीए)

रेलवे बोर्ड

दूरभाष सं.-011-23047018

ई-मेल आईडी - rajat.agarwal91@gov.in

1. महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग, सेंट्रल कार्यालय, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, बायकुला, मुंबई-400008.
2. सीजीए, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोक नाथक भवन, नई दिल्ली.
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेल), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (45 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
4. संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
5. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर/एआईआरएफ, नई दिल्ली.
6. वित्त(व्यय)-III, वेतन एवं लेखा अधिकारी/रेलवे बोर्ड, ईआरबी-I, II, III, IV, V, लेखा-III(6 प्रतियाँ), लेखा-IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण

अग्रिम शक्ति पर्ची संख्या-11

भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-11 (द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण 2022)

(राजस्व व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-1))

कृपया मुख्य शीर्ष 3002 एवं 3003 उप मुख्य शीर्ष 07, पूर्ववर्ती मांग संख्या 9 - सार 'छ'
परिचालन व्यय - यातायात - उप शीर्ष-730 के अंतर्गत निम्नलिखित विस्तृत शीर्ष प्रस्तुत करें -

विस्तृत शीर्ष	विवरण
735	डीएफसीसीआईएल के अतिरिक्त प्रकार

(प्राधिकार - बोर्ड का दिनांक 02.12.2024 का पत्र संख्या 2024/एसी 11/1/11/मिस./3479965)